राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकल न्यायधीश आपराधिक विविध (याचिका) संख्या **5502/2022**

डॉ. मोहम्मद इम्तियाज पुत्र मोहम्मद नियाज, उम्र लगभग 45 वर्ष, बी/सी मुस्लिम निवासी मकान संख्या 83, कमला नेहरू नगर, पी.एस. प्रताप नगर, जिला जोधपुर (अभियुक्त अभियुक्त)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, पीपी के माध्यम से
2. श्री जीतेन्द्र गंगवानी पुत्र स्वर्गीय श्री नरेन्द्र गंगवानी, पुलिस निरीक्षक कार्यालय प्रभारी पी.एस. पी.बी.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री शीतल कुंभट

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : सुश्री अनिता गेहलोत, पी.पी.

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिर्पोट करने योग्य

22/09/2022

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (इसके बाद इसे "पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम" कहा जाएगा) और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियम, 1996 के नियम 4 (इसके बाद संदर्भित) "पी.सी.पी.एन.डी.टी. नियम" के रूप में)। धारा 4, 5, 6, 18, 23 और 25 के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन पी.बी.आई., जिला जयपुर में एफ.आई.आर दर्ज

संख्या 01/2022 को चुनौती देते हुए तत्काल याचिका दायर की गई है।

2. यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है और एक मनगढ़ंत कहानी प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंभट ने तर्क दिया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी की धारा 4, 5, 6, 18, 23 एवं 25 के तहत अपराध के रूप प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास पी.सी.पी.एन.डी.टी. के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

3. उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही एफआईआर की सामग्री को सच माना जाए, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है।

4. दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आक्षेपित एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद, मनोहर लाल मीना, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन पी.सी.पी.एन.डी.टी. द्वारा एक शिकायत भी स्थापित की गई है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, जयपुर (बाद में इसे "उचित प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और यह एफआईआर संविधान के अनुच्छेद 20 और संहिता की धारा 300 से प्रभावित है।

5. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक सुश्री गहलोत ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने जालसाजी की है, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही पी.सी.पी.एन.डी.टी. के प्रावधानों के तहत अपराध हो। अधिनियम गैर-संज्ञेय हैं, जांच अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज कर सकता है, क्योंकि, यह एक घटना से उत्पन्न दो अधिनियमों के तहत कई अपराधों का मामला है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

7. इस न्यायालय के अनुसार, यह आरोप कि याचिकाकर्ता लिंग निर्धारण में शामिल था, निश्चित रूप से पी.सी.पी.एन.डी.टी. के तहत अपराध के लिए कार्रवाई को जन्म देता है। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि क्या ऐसे अपराध पर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है या क्या पुलिस सीधे एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है?

8. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पी.सी.पी.एन.डी.टी. की धारा 27 और 28 में निहित है।

अधिनियम, जिसे यहां मूल रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"27. अपराध का संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होना - इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होगा।

28. अपराधों का संज्ञान..

1. कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी सिवाय निम्न द्वारा की गई शिकायत के।

(क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, जैसा भी मामला हो, या उपयुक्त प्राधिकारी; या

(ख) एक व्यक्ति जिसने उचित प्राधिकारी को कथित अपराध और न्यायालय में शिकायत करने के अपने इरादे के बारे में निर्धारित तरीके से कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस दिया है।

स्पष्टीकरण.-इस खंड के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" में एक सामाजिक संगठन शामिल है।

2. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

3. जहां उप-धारा (1) के खंड(ख) के तहत शिकायत की गई है, अदालत ऐसे व्यक्ति की मांग पर, उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति को अपने कब्जे में प्रासंगिक रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकती है।"

9. पी.सी.पी.एन.डी.टी. का नियम 18 ए. इसमें शामिल प्रश्न पर नियमों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए, उसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया जा रहा है:-

"18 क. उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आचरण संहिता का पालन किया जाना

चाहिए।

(1)...xxx...

(2)...xxx...

(3) अधिनियम के तहत अधिसूचित राज्य, जिला और उप-जिला सहित सभी उपयुक्त प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायत के प्रसंस्करण और जांच के लिए निम्नलिखित आचरण का पालन करेंगे, अर्थात्: -

(i)...xxx..

से

(iii)...xxx...

(iv) जहां तक संभव हो, अधिनियम के तहत मामलों की जांच के लिए पुलिस को शामिल न करें क्योंकि अधिनियम के तहत मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत शिकायत मामलों के रूप में निपटाया जाता है।

10. पी.सी.पी.एन.डी.टी. की धारा 27 एवं 28. अधिनियम स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि अधिनियम की योजना पुलिस सहित अन्य अधिकारियों के हस्तक्षेप को रोकती है। धारा 28 स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय को पी.सी.पी.एन.डी.टी. के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपयुक्त प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सीधे न्यायालय में शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है - उसे 15 दिन का नोटिस देना होगा।

11. पी.सी.पी.एन.डी.टी. का नियम 18 ए(3)(iv) स्पष्ट शब्दों में नियम यह कहते हैं कि पुलिस की भागीदारी न्यूनतम होगी। जब अधिनियम और नियमों के तहत संलिप्तता को ही हतोत्साहित किया जाता है, तो पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. का पंजीकरण, जांच और गिरफ्तारी प्रश्न से बाहर है।

12. अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के प्रावधान लागू होते हैं? एफ.आई.आर. में बताई गई पूरी कहानी लिंग निर्धारण और रुपये लेने के इर्द-गिर्द घूमती है। आरोपी व्यक्ति द्वारा ऐसे कृत्य के लिए शुल्क के रूप में 50,000/- रु.

धोखाधड़ी की तो भनक तक नहीं है। यहां तक कि मुखबिर ने भी, जिसकी सूचना पर प्रलोभन या जाल की साजिश रची गई थी, धोखाधड़ी या प्रलोभन का आरोप नहीं लगाया - सूचना केवल लिंग निर्धारण के बारे में थी। ट्रैप के दौरान भी, याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए सहमत हुए हैं। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए मूलभूत या क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य अस्तित्वहीन है।

13. आक्षेपित एफ.आई.आर. प्राधिकृत अधिकारी, पुलिस स्टेशन पी.बी.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर द्वारा दर्ज किया गया है, जो पी.सी.पी.एन.डी.टी. की धारा 28 के अनुसार एक उपयुक्त प्राधिकारी हो सकता है। अधिनियम, शिकायत दर्ज करने में सक्षम है लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए सशक्त नहीं है।

14. एफ.आई.आर. का पंजीकरण अपने आप में अवैध है, और कार्य और अधिकार क्षेत्र के बिना पी.सी.पी.एन.डी.टी. के प्रावधानों के विपरीत है।

15. यहां ऊपर जो भी चर्चा की गई है, उसके लिए याचिका योग्य है और इसे अनुमति दी जाती है।

16. एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 22.04.2022 को दर्ज संख्या 01/2022, पुलिस स्टेशन पी.बी.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

17. चूँकि एफ.आई.आर. आक्षेप को अपास्त कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाएगा। संबंधित जेल अधीक्षक, जहां भी याचिकाकर्ता को रखा गया है, को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता 22.04.2022 से सलाखों के पीछे है। इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को अंततः राज्य द्वारा दायर शिकायत के अनुसार दोषी ठहराया जाता है, तो जिस अवधि के लिए वह सलाखों के पीछे रहा है, उसे दी गई सजा (यदि कोई हो) के खिलाफ माना जाएगा। पी.सी.पी.एन.डी.टी. के

प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ दायर शिकायत के अनुसार निचली अदालत द्वारा कार्यवाही करना।

19. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान एफ.आई.आर. को अपास्त करने से शिकायत मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पी.सी.पी.एन.डी.टी. के प्रावधानों के तहत अपराध के रूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दायर किया गया है। संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार इसका निर्णय करेगा।

20. स्थगन आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

212-Inder/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।